(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

अधिसूचना सं. 1/2025–26
नई दिल्ली, दिनांकः 1 अप्रैल, 2025

विषयः वर्ष 2025–26 के दौरान मालदीव गणराज्य को आवश्यक पण्य वस्तुओं की पूर्ति के संबंध में।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धार 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 'निर्यात नीति हेतु सामान्य टिप्पणी' के खंड (ठ) को निम्नानुसार संशोधित करती हैः

1. भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत, नीचे दी गई तालिका–1 के कॉलम (2) में उल्लिखित आवश्यक पण्य वस्तुओं का वर्ष 2025–26 के दौरान, मालदीव गणराज्य को नीचे दी गई तालिका–1 के कॉलम (4) में उल्लिखित मात्रा तक, निर्यात करने की अनुमति हैः–

तलिका – 1

क्रम सं.	पण्य वस्तुएं	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अनुमत मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
i.	अंडे	संख्या	448,913,750
ii.	आलू	मी.ट.	22,589
iii.	प्याज	मी.ट.	37,537
iv.	चावल	मी.ट.	130,429
v.	गेहूं का आटा	मी.ट.	114,621
vi.	चीनी	मी.ट.	67,719
vii.	दाल	मी.ट.	350
viii.	स्टोन एग्रीगेट	मी.ट.	1,300,000
ix.	नदी की रेत	मी.ट.	1,300,000

2. मालदीव गणराज्य को उपरोक्त तालिका–1 के कॉलम (2) में उल्लिखित वस्तुओं का निर्यात वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंध/निषेध से मुक्त रहेगा।

3. वर्ष 2025–26 के दौरान मालदीव गणराज्य को निषिद्ध/प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली **ऊपर** दी गई तालिका–1 के कॉलम (2) में उल्लिखित आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति केवल निम्नलिखित **छह** सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से दी जाएगीः –

i. मुंद्रा समुद्री पत्तन (आइएनएमयूएन1)
ii. तूतीकोरिन समुद्री पत्तन (आइएनटीयूटी1)
iii. न्हावा शेवा समुद्री पत्तन (आइएनएनएसए1)
iv. आईसीडी तुगलकाबाद (आइएनटीकेडी6)
v. कांडला समुद्री पत्तन (आइएनआइएक्सवाई1)
vi. विशाखापत्तनम समुद्री (आइएनवीटीजेड1)

4. नदी की रेत और स्टोन एग्रीगेट की उपरोक्त तालिका 1 के कॉलम 4 में उल्लिखित मात्रा के निर्यात के लिए, सीएपीइएक्सआइएल यह सुनिश्चित करेगा कि आपूर्तिकर्ताओं/निष्कर्षणकर्ताओं ने अपेक्षित पर्यावरणीय निकासी प्राप्त कर ली है और यह खनन तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) क्षेत्रों में नहीं किया जाता है।

5. इसके अतिरिक्त, नदी की रेत और स्टोन एग्रीगेट के निर्यात की अनुमति केवल संबंधित राज्य सरकारों के नामित नोडल अधिकारियों से पर्यावरण निकासी/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही दी जाएगी, जहाँ से सामग्री प्राप्त की जाती है। यह इन पण्य वस्तुओं के खनन से संबंधित लागू राज्य कानून या न्यायिक आदेशों के अधीन भी है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: विनिर्दिष्ट मात्रा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए भारत और मालदीव की सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव गणराज्य को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल, स्टोन एग्रीगेट और नदी की रेत के निर्यात की अनुमति दी गई है। इस अवधि के दौरान ये निर्यात किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंध या निषिद्ध से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा, निषिद्ध या प्रतिबंधित श्रेणी के तहत वर्गीकृत वस्तुओं के निर्यात की अनुमति केवल छह नामित सीमा शुल्क पत्तनों के माध्यम से दी जाएगी। नदी की रेत और स्टोन एग्रीगेट के मामले में, निर्यात पर्यावरण निकसी, सीआरजेड मानदंडों और संबंधित राज्य विनियमों के अनुपालन के अधीन होगा।

संतोष कुमार सारंगी
1.4.2025

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/171/59/एएम20/ईसी/ई–20816 से जारी)